

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2026—भाद्र 12, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2026

क्र. 8436—183—इक्कीस—अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 अगस्त, 2026 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०२६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२६

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन
३. धारा ७ का संशोधन
४. धारा ११ का स्थापन.
५. धारा ३६ का संशोधन.
६. धारा ४० का संशोधन.
७. धारा ४१ का संशोधन.
८. धारा ४२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०२६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२६

[दिनांक ३१ अगस्त, २०२६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ३ सितम्बर, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२६ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,- धारा २ का संशोधन.

(एक) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(क) “वार्षिक फीस” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय द्वारा विनियामक आयोग को संदत्त की गई वार्षिक फीस;”.

(दो) खण्ड (ज) का लोप किया जाए.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में,- धारा ७ का संशोधन.

(एक) खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(दो) खण्ड (दो) तथा (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

“(दो) वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, स्थापित किए जाने वाले मुख्य परिसर के लिए सन्निहित भूमि का पर्याप्त भाग प्राप्त करेगा और उसके स्वामित्व संबंधी कागज प्रस्तुत करेगा;

(तीन) वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन तथा अनुषंगी संरचना के रूप में पर्याप्त निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा;”.

४. मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्

धारा ११ का स्थापन.

“(११) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय, १ अप्रैल, २०२७ से प्रभावी होने अथवा अपने निगमन की तारीख से, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, विनियामक आयोग को, ऐसी वार्षिक फीस का भुगतान करेगा, जैसा कि विहित किया जाए. वार्षिक फीस का भुगतान ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए;”.

वार्षिक फीस

५. मूल अधिनियम की धारा ३६ में, उपधारा (१०) के खण्ड (च) में, शब्द “विन्यास निधि और/या” का लोप किया जाए. धारा ३६ का संशोधन.

धारा ४० का
संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ४० में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(२) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर विनियामक आयोग को, यह अधिकार होगा कि वह प्रायोजी निकाय को उपधारा (१) के अधीन दायित्वों को पूरा करने के लिए ऐसे निदेश दे, जो वह आवश्यक समझे और यदि प्रायोजी निकाय उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन, उपाधि देने आदि के संबंध में या तो स्वयं कार्य करने या यह कार्य किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंपने संबंधी व्यवस्था, इस रीति में करेगा कि छात्रों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों और छात्रों को दी गई इन व्यवस्थाओं पर जो व्यय होगा, उसे निजी विश्वविद्यालय की सामान्य निधि में जमा राशि से पूरा किया जाएगा.”.

धारा ४१ का
संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (१०) में, शब्द “विन्यास निधि और” का लोप किया जाए.

धारा ४२ का
संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४२ में, उपधारा (२) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(ग) धारा ११ के अधीन वार्षिक फीस, इसका निर्धारण, भुगतान तथा उपयोग;”.

भोपाल, दिनांक ३ सितम्बर २०२६

क्र. ८४३६-१८३-इक्कीस-अ (प्रा.) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२६ (क्रमांक १५ सन् २०२६) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 15 OF 2026

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPNA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2026

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 7.
4. Substitution of Section 11.
5. Amendment of Section 36.
6. Amendment of Section 40.
7. Amendment of Section 41.
8. Amendment of Section 42.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 15 OF 2026

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPNA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2026

[Received the assent of the Governor on the 31st August, 2026; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd September, 2026.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026. Short title and commencement.
- (2) It shall come into the force from the date of its publication in the official Gazette.
2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act),- Amendment of Section 2.
 - (i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) "annual fee" means the annual fee paid by the private university to the Regulatory Commission;"
 - (ii) clause (h) shall be omitted.
3. In Section 7 of the principal Act, in sub-section (1),- Amendment of Section 7.
 - (i) sub-clause (b) of clause (i) shall be omitted.
 - (ii) for clause (ii) and (iii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(ii) subject to prescribed norms, if any, of the concerned Regulatory Council or Councils or the University Grants Commission, it shall procure an adequate piece of contiguous land for the main campus to be established and submit its papers of ownership;

(iii) subject to the prescribed norms, if any, of the concerned Regulatory Council or Councils or the University Grants. Commission, it shall make available built-up area in the form of buildings and ancillary structure, adequate for administrative purposes and for conducting the academic programmes;"
4. For Section 11 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of Section 11.

"11. Every private university shall pay to the Regulatory Commission, such annual fee, as may be prescribed, with effect from 1st April, 2027 or from the date of its incorporation, whichever is later. The annual fee shall be paid in such manner and within such time, as may be prescribed."

Annual fee.
5. In Section 36 of the principal Act, in clause (f) of the sub-section 10, the words "endowment fund and/or" shall be deleted. Amendment of Section 36.

**Amendment of
Section 40.**

6. In Section 40 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) The Regulatory Commission, on receipt of such information, shall have the right to issue such directions to the sponsoring body for the fulfillment of its obligations under sub-section (1), as it may deem necessary and if the sponsoring body contravenes the provisions of sub-section (1), the Regulatory Commission shall make arrangements for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees, etc., of students of the private university, either by undertaking the job itself or by assigning the job to some other university, in such manner that the interest of the students are not affected adversely in any manner and expenditure made for these arrangement for the students shall be made good from the money deposited in the general fund of the private university."

**Amendment of
Section 41.**

7. In the Section 41 of the principal Act, in sub-section (10), the words "endowment fund or" shall be deleted.

**Amendment of
Section 42.**

8. In the Section 42 of the principal Act, for clause (c) of sub-section (2), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) the annual fee under Section 11, its fixation, payment and use;"